

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(148) छात्र/नवीन पोर्टल/सान्याअवि/2016-17/ 34130

दिनांक : 16/4/18

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग /आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन पेपरलैस आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

ऑनलाईन आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां/आक्षेप होने की वजह से स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था, जिनकी आक्षेप पूर्ति के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी अथवा संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन पत्र अग्रेषित किया जाना था। किन्तु अनेक अवसर दिए जाने के उपरान्त भी कतिपय विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आदिनांक तक स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आक्षेपित आवेदन पत्रों को पूर्ति करा कर अग्रेषित नहीं किया गया है। अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं को आक्षेप पूर्ति के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दिनांक **15 मई 2018** तक ऑनलाईन अग्रेषित करने हेतु विद्यार्थी हित में **अवसर** प्रदान किया जाता है।


नियत दिनांक **15 मई, 2018** तक विद्यार्थी द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थानों को एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति के पश्चात् स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित नहीं करने की स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को स्थाई निरस्त कर दिया जावेगा एवं पोर्टल का लिंक निष्क्रिय कर दिया जावेगा, जिसका समस्त दायित्व विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का होगा।

निर्धारित दिनांक **15 मई, 2018** तक विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को आक्षेप पूर्ति कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक अग्रेषित करने की कार्यवाही करें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
9. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
10. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर
13. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
14. निदेशक संस्कृत शिक्षा शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर
16. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर
17. जिला कलेक्टर (समस्त)
18. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
20. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
21. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान.....
.....
22. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), समस्त.....
23. सभागोय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, समस्त.....
24. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
25. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय.....
26. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्त.....
27. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
28. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
29. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
30. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
31. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
32. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
33. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
34. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।


 (राजेन्द्र किशन) 16/4/18
 अतिरिक्त निदेशक
 (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)